

>

Title : Need to include 'Mew' community of Rajasthan in the OBC list.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दोसा): महोदय, राजस्थान राज्य के मेवात हिस्से में मेव जाति काफी अधिक संख्या में निवास करती हैं वे मुख्यतः अलवर एवं भरतपुर जिले में खेतिहर हैं, किन्तु सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़े हुए हैं यह कौम अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने मेव जाति को 31.05.2000 को राज्य की ओबीसी की सूची में डाल कर आरक्षण का लाभ दे दिया। वैसे तो सरकार ने मेव समाज के उत्थान के लिए मेवात विकास बोर्ड का गठन कर रखा है, किन्तु अब तक के आंकड़ों से इनके पिछड़ेपन को दूर करने के कोई सार्थक प्रयास सरकार द्वारा या मेवात बोर्ड द्वारा नहीं किए गए जिस कारण मेव समाज अभी भी पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के भरतपुर एवं अलवर क्षेत्र के मेव हरियाणा-दिल्ली-उत्तर प्रदेश क्षेत्र से सटे हुए हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की मेव जाति को करीबन 10 वर्ष पूर्व पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है, किन्तु राजस्थान की मेव जाति को केन्द्र की पिछड़ा वर्ग की सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

राजस्थान राज्य के मेव पिछड़ी जाति में शिक्षा एवं नौकरी के लिए तरह तरह से आरक्षण पाने की पात्रता रखते हैं। इस समाज को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने के संबंध में नेशनल कमीशन फॉर बैकवार्ड क्लास (एनओबीओसी) ने 30.06.2009 को जयपुर में सुनवाई भी कर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट, भारत सरकार को सेशन 9 (2) ऑफ द एनओबीओसी एक्ट, 1993 के तहत 26 अगस्त, 2009 को अपनी सिफारिश भी भिजवा दी है। अतः मेव समाज को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अविलम्ब डालने की कार्यवाही करें जिससे इनका पिछड़ापन दूर हो सके।
